कृष्णलाल आदि बनाम आत्माराम आदि
प्रकरण संख्या 364/2025 अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। चकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि वादी सं. 4/6/3 सुनीता पुत्री धोली का नाम सहवन से सावित्री लिखा गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने अनापति पेश की। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तहसीलदार रावतसर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। अपनी बहस में वादीगण व प्रतिवादीगण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट आदि के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.11.29 11:25:57 IST
Reason: SelfAttested